कारोबार की राह से हटेंगे अड़ंगे मंजूरी प्रक्रिया होगी और तेज

केंद्र ने की उत्तर प्रदेश में डी-रेगुलेशन 2.0 की प्रगति की समीक्षा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने डीरेगुलेशन 2.0 के तहत सुधारों की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन्वेस्ट यूपी में हुई केंद्र सरकार की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कारोबारियों और नागरिकों का अनुपालन बोझ घटाने, नियमों को सरल बनाने और मंजूरी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए प्राथमिक सुधारों की पहचान की गई।

कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिरिक्त सचिव राहुल शर्मा समेत केंद्र और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। खाद्य कारोबार के लिए एफएसएसएआई लाइसेंसिंग, श्रम कानून, जीएसटी प्रक्रिया, फायर लाइसेंसिंग, नेशनल बिल्डिंग कोड

स्टैंडर्ड्स-2026 के अनुरूप अग्नि सुरक्षा मानक, यूपीबीबीएल के तहत भवन स्वीकृति, एमएसएमई सहायता और यूपीपीसीएल के बिजली कनेक्शन की प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई।

प्रदेश ने नियामकीय सुधारों के पहले चरण में अनुपालन बोझ और मंजूरी संबंधी बाधाएं कम करने में सभी राज्यों में पहला स्थान हासिल किया था। डीरेगुलेशन 2.0 इसी प्रयास को आगे बढ़ाएगा। पाठक ने कहा कि नियमों का उद्देश्य पूरा होना चाहिए, लेकिन वे अनावश्यक बाधा नहीं बनें।

अग्नि सुरक्षा में प्राथमिकता लोगों की जीवन सुरक्षा होनी चाहिए, केवल एनओसी हासिल करना नहीं। बैठक में नगर नियोजन व आवास नियमों के सरलीकरण, एफएआर में अधिक लचीलापन, नए विद्यालय खोलने में आसानी और राजस्व प्रक्रियाओं में शिथिलीकरण पर भी चर्चा हुई। बैठक में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद, सचिव किंजल सिंह, दिव्या मित्तल और एसीईओ प्रेरणा शर्मा सहित अधिकारी मौजूद रहे।